न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–17/2020 दायर दिनॉक 22.07.2020

प्रार्थीगण

1. हेमाराम पुत्र स्व0 दुलाराम उम्र 55 वर्ष
2. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 दुलाराम उम्र 49 वर्ष
3. चूकीदेवी पत्नि स्व0 पप्पुराम उम्र 39 वर्ष
4. तनसुख पुत्र स्व0 पप्पुराम उम्र 17 वर्ष
5. इन्द्रचन्द पुत्र स्व0 पप्पुराम उम्र 8 वर्ष
6. मनीषा पुत्री स्व0 पप्पुराम उम्र 14 वर्ष
7. रंजना पुत्री स्व0 पप्पुराम उम्र 11 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर (नाबालिकान तनसुख, इन्द्रचन्द, मनीषा, रंजना जरिये संरक्षक कुदरती वलिया माता चूकीदेवी)
8. सोनीदेवी पुत्री स्व0 दुलाराम पत्नि किसनाराम उम्र 58 वर्ष हाल निवासी रोडू तह0 लाडनूं, नागौर
9. बुलीदेवी पुत्री स्व0 दुलाराम पत्नि अन्नाराम उम्र 52 वर्ष हाल निवासी दौलतपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तिजूदेवी पत्नि स्व0 मांगीलाल उम्र 70 वर्ष
2. हिरादेवी पत्नि स्व0 श्रीकृष्ण उम्र 40 वर्ष
3. ताराचन्द पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण उम्र 20 वर्ष
4. राकेश पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण उम्र 19 वर्ष समस्त जाति मेघवाल निवासीगण कोलिया तह0 डीडवाना जिला नागौर
5. मंजुदेवी पुत्री स्व0 श्रीकृष्ण पत्नि राजेश उम्र 25 वर्ष निवासी कोलिया हाल निवासीनी बिठुड़ा तहसील लाडनूं।
6. सम्पूदेवी पुत्री स्व0 श्रीकृष्ण पत्नि हेमराज उम्र 22 वर्ष निवासी कोलिया हाल निवासीनी बिठुडा तहसील लाडनूं
7. निर्मलादेवी पुत्री स्व0 श्रीकृष्ण पत्नि मुकेश उम्र 21 वर्ष निवासी कोलिया हाल निवासीनी सिंघाना तहसील डीडवाना
8. बावडी देवी पुत्री मांगीलाल पत्नि हजारीराम उम्र 56 वर्ष निवासी शिमला तहसील लाडनूं
9. नानीदेवी पुत्री मांगीलाल पत्नि रतीराम उम्र 48 वर्ष निवासी शिमला,तह0 लाडनूं
10. बजुदेवी पुत्री मांगीलाल पत्नि शंकरलाल उम्र 45 वर्ष निवासी दयालपुरा, तहसील डीडवाना समस्त जातिगण मेघवाल।
11. तहसीलदार डीडवाना।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री तेजपाल राठी वकील प्रार्थीगण।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 10 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 05.01.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.09.08 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है [illegible] सरा सं0 797 रकबा 1.4300 मौजा कोलिया, पटवार हल्का [illegible] क्षेत्र कोलिया में अवस्थित है जो की [illegible] है प्रार्थीगण के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

उक्त खेत खसरा सं0 797 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 796 में से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 10. की तरफ से वकील श्री अजीतसिंह राठौड द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार प्रार्थीगण के दादा स्व0 श्रीरामाराम के नाम ग्राम कोलिया में कोई कृषि भुमि नहीं थी। प्रार्थीगण के दादा स्व0 श्रीरामाराम के छोटे सगे भाई मांगीलाल के नाम वाके सरहद कोलिया खसरा नं0 1092 रकबा 17.05 बीघा कब्जे काश्त व खातेदारी में संवत 2050–2053 में दर्ज थी। स्व0 मांगीलाल के कोई जायन्दा लडका नहीं होने के कारण उक्त खसरा की भूमि मांगीलाल के स्वर्गवास के पश्चात उसकी पुत्री सुन्दर पत्नी भंवरलाल जाति मेघवंशी साकिन दौलतपुरा के नाम दर्ज हो गई।

गत खसरा नं0 1092 रकबा 17.05 बीघा में से स्व0 मांगीलाल ने 08.18 बीघा भूमि जयराम पुत्र नारायण को विक्रय कर दी। तत्पश्चात उक्त भूमि के खसरा सं0 11953/1092 रकबा 08.18 बीघा जयराम के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। खसरा सं0 1092 में से बैचाण करने के पश्चात खसरा नं0 1092 में से रकबा 08.17 बीघा भूमि प्रार्थीगण के दादा स्व0 श्रीरामाराम के भाई मांगीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। उक्त खसरान की वर्तमान में खातेदारी प्रार्थी पक्ष के नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण सं0 1901 दिनांक 25.12.2015 डिक्री से खातेदारी प्राप्त हुई है।

खसरा सं0 1092 रकबा 17.15 बीघा के वर्तमान खसरा सं0 1092 रकबा 08.17 बीघा व खसरा सं0 1953/1092 रकबा 8.18 बीघा बने। उक्त सम्पूर्ण खसरा के कटाणी रास्ता वर्तमान समय में ग्राम कोलिया से न्याणियों की ढाणी जाने वाले कटाणी रास्ता दक्षिण सीमा पर लगता है जो वर्तमान समय में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वर्तमान समय में प्रार्थी पक्ष ने करीब 06 माह से निर्माण कार्य चालु कर रा है। निर्माण सामग्री एवं कृषि कार्य हेतु प्रार्थी पक्ष सदैव की भांति हर दिवस कोलिया से न्याणिंयों की ढाणी में जाने वाले कटाणी रासते को ही उपयोग व उपभोग में लेते आये है। प्रार्थीगण के वास्तविक व सुगमतम रास्ता लगता है इसलिए अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। उक्त रास्ता संवत 2060 से 2061 के नक्शा ट्रेस में भी दर्ज है।

कानून की स्पष्ट मंशा है कि जिस खेत के रासता या कटाणी रास्ता नहीं लगता हो वो ही व्यक्ति अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 के तहत आवेदन कर सकता है जबकि प्रार्थी पक्ष के पैतृक सम्पत्ति के खेत खसरा सं0 1092 के दक्षिणी तरफ कोलिया से न्या[illegible] ढाणी वाला रास्ता अवस्थित है। इसलिए उक्त आवेदन भारी कोस्ट [illegible] खा[illegible] किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.09.08 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी सं0 11 बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई जो तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 2101 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा प्रात हुई।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 1955 में प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रावधान अनुसार :–

251 क:– अन्य खतेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाईन विछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना:– जहां –

(क)कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :–

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामलें में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से संबंधित पत्रावली पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया गया।

निष्कर्षतः प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। अतः प्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 797 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 796 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जो कि तहसीलदार मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2022 से भी स्पष्ट है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है [illegible] दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] 797 [illegible] 0 हैक्टेयर वाके सरहद कोलिया पटवार हल्का कोलिया में [illegible] तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक: रीडर/2022/2101 दि[illegible] 30.11.2022 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.09.08 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत ग्राम कोलिया पटवार हल्का कोलिया के खसरा सं0 796 रकबा 1.3800 हैक्टयर में तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा (वर्तमान सेटलमेंट के अनुसार) खसरा सं0 796 के बिन्दु A से B तक 14 फुट चौडाई की भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है तथा तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते की लम्बाई चौडाई नापकर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौगुनी राशि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से दिलवाया जावें। तदुपरांत उक्त आदेशानुसार रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ते को खुलासा करवाया जावें।

उक्त रास्ता सिर्फ प्रार्थीगण के लिए उपयोग हेतु न होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा।

पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें।

तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 2101 दिनांक 30.11. 2022 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(जीतू कुलहरी **R.A.S.**)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक **05.01.2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी **R.A.S.**)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2023.09.08 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner